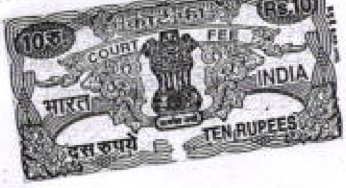

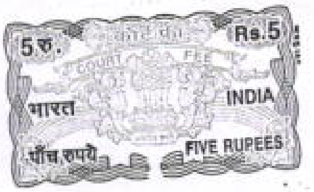

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण निगरानी 1054-PBR-15

राजीव लोचन सिंह पुत्र दीवान माधौ सिंह

ठाकुर निवासी ग्राम सुनाज,

हाल निवासी–गुंजनपुरा, जिला–दतिया

विरूद्व

श्रीमती आराधना देवी चौधरी पत्नी श्री प्रदीप कुमार

चौधरी निवासी–101 बजाज भवन सैनिक फार्म

नई दिल्ली

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/2014–15/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 24–04–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि का अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदक है अनावेदक ने आवेदक की भूमि पर नामांतरण हेतु दिनांक 21–07–2014 को इस आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया कि उसने आवेदक से दिनांक 15–06–1999 को भूमि क्रय कर ली थी आवेदक ने उपस्थित होकर नामांतरण आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की.

3. यह कि, नायब तहसीलदार ने आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई पेशी नियत नहीं की तथा बाद में दिनांक 10–09–2014 नियत करते हुये आवेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं की एवं बिना कोई साक्ष्य लिये नामांतरण का आवेदन स्वीकार कर लिया.

4. यह कि, नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी होने पर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं नायब तहसीलदार के एकपक्षीय नामांतरण आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 16–03–2015 को स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार के आदेश का पालन स्थगित किया.

5. यह कि, अनावेदक की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर स्थगन आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया जिस पर तर्क हेतु दिनांक 23–04–2015 नियत की गयी नियत दिनांक को आवेदक की ओर से प्रार्थना की गयी कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका है अतः प्रकरण में अंतिम तर्क सुनकर अपील का गुण–दोषो पर निराकरण किया जाना न्यायोचित होगा परंतु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की प्रार्थना पर विचार न करते हुये स्थगन आवेदन पर तर्क सुने एवं विवादित आदेश द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया है जिससे परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1054 –पीबीआर/15 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–6–2015	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री .जी0 पी0 नायक, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन समाप्ति आदेश दिनांक 24–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15–5–2015 को सुनवाई की जाकर 3 माह तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश देते हुये भूमि के विकय/अन्तरण पर रोक लगाई गई है, इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । चूँकि यह प्रकरण केवल अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन समाप्ति आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अतः इस न्यायालय द्वारा स्थगन पर विचार करने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है, इसलिये प्रकरण 3 माह में निराकरण किये जाने के निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापस भेजा जाये । 2/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क से सहमत होते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापस भेजा जाता है कि वे प्रकरण का निराकरण 3 माह में आवश्यक रूप से निराकरण करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	